उत्तर प्रदेश शासन
खाद्य एवं रसद अनुभाग -8
संख्या: सीपी 2496/29-खा8-2002-सीपी 1/87टी.सी.
लखनऊ :: दिनांक :: 25 सितम्बर, 2002

कार्यालय ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या -सीपी 262/29-10-90 दिनांक-16 जुलाई, 1990 द्वारा उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद विभाग के अंतर्गत संचालित उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय के महानिदेशक को उनके अधिकार क्षेत्र के लिए विभागाध्यक्ष घोषित किया गया था। उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप को संशोधित करते हुए कार्यालय ज्ञाप संख्या -सीपी 405/29-8-2001-सीपी 1/87 दिनांक 09 मई, 2001 द्वारा उपभोक्ता संरक्षण राज्य आयोग के अध्यक्ष को महानिदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण राज्य आयोग का विभागाध्यक्ष घोषित किया गया था।

2. विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 6928/99 उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम जीत सिंह बिष्ट में दिनांक - 10 जुलाई, 2002 को पारित अपने आदेश में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ने यह मत व्यक्त किया है कि उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या सीपी 262/29-10-90 दिनांक - 16 जुलाई, 1990 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 24(बी) से सुसंगत नहीं है। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार श्री राज्यपाल वित्त (लेखा) अनुभाग -2 के परिपत्र संख्या - ए-2-1637/दस-14(1)/75 दिनांक 26 जून, 1975 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए खाद्य एवं रसद विभाग के अंतर्गत संचालित उपभोक्ता संरक्षण राज्य आयोग के अध्यक्ष को महानिदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण राज्य आयोग के साथ-साथ प्रदेश में स्थापित समस्त जिला उपभोक्ता फोरमों का भी विभागाध्यक्ष घोषित करते हैं। उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप क्रमशः सीपी 262/29-10-90 दिनांक 16 जुलाई, 1990 एवं सीपी 405/29-8-2001-सीपी 1/87 दिनांक 09 मई, 2001 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(भंजन लाल)
प्रमुख सचिव ।

सेवा में,
महालेखाकार,
उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद ।

संख्या: सीपी 2496(1)/29-खा8-2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) अध्यक्ष, उपभोक्ता संरक्षण राज्य आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
(2) आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
(3) महानिदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
(4) समस्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, उत्तर प्रदेश ।
(5) मुख्य लेखाधिकारी एवं मुख्य विपणन अधिकारी, खाद्य तथा रसद विभाग, लखनऊ ।
(6) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
(7) समस्त जिलाधिकारी/समस्त जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
(8) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
(9) खाद्य तथा रसद विभाग के समस्त अधिकारी ।
(10) अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ ।
(11) प्रमुख सचिव, न्याय, विधि परामर्शी एवं विधायी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
(12) निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन ।
(13) निजी सचिव, मा0 खाद्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन ।
(14) गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार चौधरी)
विशेष सचिव ।